

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

झाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026

28/7/26

पटना, दिनांक- 10 अगस्त, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 1490.14 (चौदह करोड़ नव्हे लाख चौदह हजार रु0) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 1490.14 (चौदह करोड़ नव्हे लाख चौदह हजार रु0) मात्र रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है, जिसके विकास से किसानों की आय में वृद्धि होती है। सात निश्चय-3 के अंतर्गत "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" के तहत नई एवं कार्यरत चीनी मिलों हेतु पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने तथा गन्ना क्षेत्र का तीव्र विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

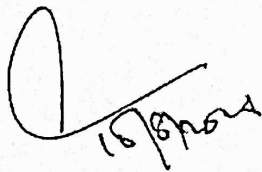
(3) योजना का कार्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाएगा। परिशिष्ट-2 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक होगा।

(5) इस योजनांतर्गत बीज विक्रेता/परिवहन एजेंसी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय-समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेंगे। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी इस योजना की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा एवं ईखायुक्त योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। ईखायुक्त, बिहार के द्वारा योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण समय-समय पर किया जायेगा।



(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू०)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि / विकलनीय राशि (लाख रू०)
1.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	33 01 सब्सिडी	12818.50	1232.35
2.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-45- उपशीर्ष-0108-ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007890108	33 01 सब्सिडी	2480.00	238.42
3.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष- 0129 -ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007960129	33 01 सब्सिडी	201.50	19.37
	योग-		15500.00	1490.14

(9). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(10). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(11). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(12) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561(वि.)2 दि०-17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(13) योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-17.07.2026 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या सं०-343/वि. दिनांक-09.04.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा दिनांक-29.07.2026 को प्राप्त है।

(14) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-01/विकास-यो०-241/2026 के पृष्ठ सं०-10/टि. पर प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं०-01/विकास-यो०-241/2026 के पृष्ठ सं०-11/टि. पर प्राप्त है।

(16) वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक-यथोक्त:

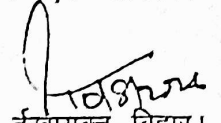
विश्वासभाजन

10/10/2026
ईखायुक्ता, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 287 स्वी०

पटना, दिनांक- 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतागढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णिया/गया/दरभंगा/गोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

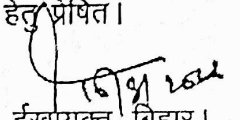

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 287 स्वी०

पटना, दिनांक- 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, विस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

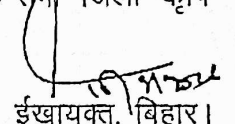
2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 287 स्वी०

पटना, दिनांक- 10 अगस्त, 2026

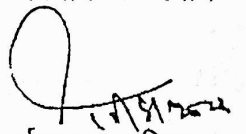
प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-241/2026- 287 स्वी०

पटना, दिनांक- 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

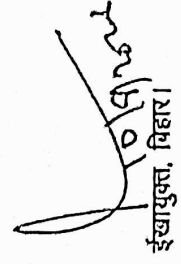
परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2020-27 में राज्य योजना के तहत " नये रोज़े में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " का कार्यालयवार स्वीकृत वित्तीय एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	संबंधित जिला	रकबा (एकड़)			सेट @ 25 फीट प्रति एकड़ (कैडिल)	वित्तीय लक्ष्य (₹0/कैडिल) (लाख ₹0)	शिगत बट्टा स्टांडरेड @ 10,000 फीट प्रति एकड़	वित्तीय लक्ष्य (₹0/स्वायदेदा) (लाख ₹0)	श्रीमती कटार्ड एवं सोडिंग/अनलॉडिंग का दर (₹0 प्रति कैडिल) (लाख ₹0)	अवशेषिता व्यय/श्रीमती कटार्ड (₹0 प्रति कैडिल) (लाख ₹0)	युक्त वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0) (8+10+12)
			रकबा (सेट आधारित)	रकबा (शिगत बट्टा स्टांडरेड आधारित)	योग (4+5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, रायसा	रायसा	1900	100	2000	47500	223.25000	1000000	30.00	23.75000	144.00	397.25000
2		मुबुनी	1900	100	2000	47500	223.25000	1000000	30.00	23.75000	160.00	413.25000
3	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, फेरसगढ़	नोपालगढ़	700	100	800	17500	82.25000	1000000	30.00	8.75000	16.00	128.25000
4	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	400	100	500	10000	47.00000	1000000	30.00	5.00000	10.00	87.00000
5	ई.व. विकास, सीतामढ़ी	सिहर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	1.00	6.87500
6	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, सिवान	सिवान	100	0	100	2500	11.75000	0	0.00	1.25000	4.00	15.75000
7		सिवान	150	50	200	3750	17.62500	500000	15.00	1.87500	8.00	40.62500
8	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	150	50	200	3750	17.62500	500000	15.00	1.87500	8.00	40.62500
9		देहाती	150	50	200	3750	17.62500	500000	15.00	1.87500	8.00	40.62500
10		पटना	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	4.00	11.70000
11	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, पटना	अररु	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.00	10.87500
12		जहानाबाद	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	5.00	12.70000
13		नालंदा	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.60	11.47500
14	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, भागलपुर	भागलपुर	80	20	100	2000	9.40000	200000	6.00	1.00000	6.00	21.40000
15		बौध	40	0	40	1000	4.70000	0	0.00	0.50000	2.40	7.10000
16	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, गया	गया	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	6.00	13.70000
17		नवादा	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	6.00	13.70000
18		औरंगाबाद	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	4.80	12.50000
19		भोजपुर	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	4.20	11.90000
20	सहायक निदेशक, ई.व. विकास, भोजपुर	रोहतास	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.60	11.47500
21		यससर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.40	10.27500
22		कमर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	6.80	12.67500

20/10/2021

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	संबंधित जिला	रकबा (एकड़)			रोड (कि.मी) 25 मीली प्रति एकड़ (मीटर)	मितीय तथ्य (470 रू/मीटर) (लाख रू)	मिगात नद प्लाटोदेरा (10,000 मी.प्रति एकड़)	मितीय दाय (रू/एकड़) (लाख रू)	मीज की कटौत एवं रोडिंग का खर्चा (50 रू प्रति/मीटर) (लाख रू)	अवलीमका व्यय/मीज प्रति रू (0.80 रू प्रति रू) (लाख रू)	कुल मितीय दाय (लाख रू) (9+10+12)
			रकबा (रोड आवासीय)	रकबा (सिगत नद आवासीय)	योग (475)							
23	सहायक निदेशक, ई.स. विभाग, जमुई	जमुई	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	6.00	13.70000
24		मुंगेर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.80	11.67500
25		सखीसराय	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	5.50	11.37500
26		शेखपुरा	25	0	25	625	2.93800	0	0.00	0.31250	3.00	5.93800
27	सहायक निदेशक, ई.स. विकास, सहरसा	सहरसा	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	5.60	13.30000
28		मधेपुरा	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	6.42	12.29000
29		सुपौल	25	0	25	625	2.93700	0	0.00	0.31250	3.00	5.93700
30		मुर्शिदाबाद	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
31	सहायक निदेशक, ई.स. विकास, मुर्शिदाबाद	कटिहार	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
32		बिजनगर	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
33		अररिया	50	0	50	1250	5.87500	0	0.00	0.62500	4.00	9.87500
34		सनत्तीपुर	80	20	100	2000	9.40000	200000	6.00	1.00000	2.00	17.40000
35	सहायक निदेशक, ई.स. विकास, सनत्तीपुर	बेगूसराय	80	20	100	2000	9.40000	200000	6.00	1.00000	2.80	18.20000
36		छगड़िया	40	10	50	1000	4.70000	100000	3.00	0.50000	1.40	9.10000
		Total	6905	745	7490	169750	797.82500	7000000	210.00	84.87500	482.32	1490.14


इ.स.वि. विहार।

परिशिष्ट-2

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना के तहत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम " का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सापान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरमंगा	670.28800	129.68000	10.53200	810.50000	कोषागार, दरमंगा
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	106.06000	20.52000	1.67000	128.25000	कोषागार, गोपालगंज
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	77.63500	15.02000	1.22000	93.87500	कोषागार, सीतामढ़ी
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	46.62200	9.02000	0.73300	56.37500	कोषागार, सिवान
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	67.19400	13.00000	1.05600	81.25000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	38.66200	7.48000	0.60800	46.75000	कोषागार, पटना
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	23.57000	4.56000	0.37000	28.50000	कोषागार, भागलपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	32.99700	6.38400	0.51900	39.90000	कोषागार, गयाजी
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर	38.31100	7.41200	0.60200	46.32500	कोषागार, भोजपुर (अन्य)
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	35.30300	6.83000	0.55500	42.68800	कोषागार, जमुई
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	26.07300	5.04400	0.41000	31.52700	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ	32.66600	6.32000	0.51400	39.50000	कोषागार, पूर्णियाँ
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	36.96900	7.15000	0.58100	44.70000	कोषागार, समस्तीपुर
	योग-	1232.35000	238.42000	19.37000	1490.14000	

10/11/2025
ईश्वरमुक्त, बिहार।